विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-37/17

मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर, — आवेदक
प्रोपा. — श्रीमती आशा मेहता,
40 — महाश्वेता नगर,
उज्जैन — 456010

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (उ.क्षे.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.) ।

— अनावेदकगण

अधीक्षण यंत्री (संचा.—संधा.) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.) ।

आदेश
(दिनांक 26.03.2018 को पारित)

01. मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर, प्रोपा. — श्रीमती आशा मेहता, 40—महाश्वेता नगर, उज्जैन द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0377917 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 23.12.2017 प्रस्तुत किया गया है ।

02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00—37/17 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03. विद्युत लोकपाल कार्यालय में इस प्रकरण के तहत दिनांक 12.01.2018 को सुनवाई प्रारंभ की गई । आवेदक की ओर से श्री विनोद परमार, अधिवक्ता एवं अनावेदक की ओर से श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री उपस्थित ।

04. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अगली तिथि देने हेतु अनुरोध किया गया । प्रकरण के अवलोकन करने के पश्चात् अनावेदक को ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009'' की कण्डिका 4.2 के प्रावधानों के अनुसार अनावेदक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12.01.2018 निश्चित की गई ।

05. सुनवाई के प्रारंभ में आवेदक के प्रतिनिधि से पूछा गया कि प्रकरण के बारे में कुछ बताएं। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें हाल ही में प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, अतः सुनवाई की अगली तिथि देने का अनुरोध किया गया । प्रकरण में अनावेदक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि वे अगली तिथि में निम्न जानकारी के साथ उपस्थित रहें –

अ. प्रकरण से संबंधित कनेक्शन की मई, 2015 से माहबार खपत एवं एम.डी. का विवरण ।

ब. कनेक्शन से संबंधित नए तथा पुराने अनुबंधों की प्रतियां ।

स. वर्तमान में संबंधित कनेक्शन पर कितनी बकाया राशि है तथा आवेदक द्वारा कितनी राशि अभी तक जमा कराई गई ।

द. उपभोक्ता द्वारा कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड पुनः कम करने के पश्चात् की गई बिलिंग एवं खपत तथा दर्ज एम.डी. का विवरण ।

प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 22.01.2018 नियत की गई ।

06. सुनवाई दिनांक 22.01.2018 को अनावेदक द्वारा आवेदक के अपील अभ्यावेदन पर बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत किया जिसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक को निर्देशित किया गया कि निम्न जानकारी सुनवाई की अगली तिथि में प्रस्तुत करें :–

अ. प्रकरण के संबंध में 250 केवीए कान्टेक्ट डिमाण्ड से दर्ज की गई एम.डी. एवं विद्युत खपत का विवरण ।

ब. 350 केवीए कान्टेक्ट डिमाण्ड होने के पश्चात् दर्ज एम.डी. एवं विद्युत खपत का विवरण ।

स. आवेदक के विरूद्ध की गई पूरक बिलिंग रू0 19,02,991/– की डिटेल ।

द. आवेदक द्वारा कान्टेक्ट डिमाण्ड 190 केवीए किए जाने के पश्चात् दर्ज एम.डी. एवं विद्युत खपत का विवरण ।

प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 02.02.2018 नियत की गई ।

07. दिनांक 22.01.2018 को उभयपक्ष उपस्थित हुए । आवेदक की ओर से श्री संदीप मेहता, अधिवक्ता तथा अनावेदक की ओर से श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री उपस्थित । अनावेदक द्वारा आवेदक की अपील पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता को दी गई । सुनवाई के दौरान तर्क एवं प्रस्तुत दस्तावेज पर ओर अधिक स्पष्ट करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई तथा अगली तारीख दिनांक 02.02.2018 को अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई, जिस पर चर्चा एवं लिखित उत्तर देने के लिए आवेदक के वकील द्वारा एक अन्य तिथि निश्चित करने का अनुरोध किया गया । उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली तिथि 02.02.2018 निश्चित की गई ।

08. दिनांक 21.02.2018 को आवेदक की ओर से श्री संदीप मेहता, अधिवक्ता एवं अनावेदक श्री एस.के. जैन, कार्यपालन यंत्री उपस्थित हुए । उक्त प्रकरण पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात् प्रकरण के संबंध में निम्न तथ्य प्राप्त हुए ।

आवेदक द्वारा बताया गया कि :–

1. उनके उच्चदाब विद्युत कनेक्शन जिसकी संविदा मांग 250 केवीए है, ग्राम पिंगलेश्वर में स्थित है । उनके द्वारा संविदा मांग 250 केवीए से 350 केवीए करने का आवेदन दिया गया, जिसकी स्वीकृति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 16.04.15 को जारी की गई तथा दिनांक 27.04.15 को अनुबंध निष्पादित किया गया ।
2. आवेदक द्वारा बताया गया कि 350 केवीए संविदा मांग का अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् जून 2017 तक 250 केवीए संविदा मांग के अनुसार ही बिल दिया जाता रहा ।
3. दिनांक 01.03.17 को अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री उच्च दाब बिलिंग प्रकोष्ठ द्वारा उन्हें प्रथम बार सूचित किया कि उनकी संविदा मांग 250 केवीए से 350 केवीए दिनांक 08.05.15 को बढ़ा दी गई है, परन्तु भूलवश उन्हें जनवरी 17 तक 250 केवीए संविदा भार के अनुसार बिल दिया जाता रहा, जबकि उन्हें मई 15 से 350 केवीए के संविदा भार के अनुसार बिल दिया जाना चाहिए था । अतः कम बिल दिए जाने पर उनका बिल मई 15 से जनवरी 17 के बीच का पुनरीक्षित कर रू0 19,02,991/– का दिया गया तथा जिसका भुगतान 15 दिवस के अन्दर करने हेतु अनुरोध किया गया ।

4. आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.6(बी) के प्रावधान के अनुसार कभी भी अतिरिक्त यंत्र स्थापित करने के पश्चात् इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट/परीक्षण प्रपत्र नहीं दिया गया ।
5. अनावेदक द्वारा बताया गया कि उनकी दिनांक 13.05.15 को एम.डी. रीसेट कर दी गई थी, परन्तु उसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी गई तथा एम.डी. रीसेट करने के दस्तावेज पर आवेदक के जिस व्यक्ति के नाम से हस्ताक्षर किए गए वे उनके यहां कार्यरत् नहीं हैं ।
6. आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि एम.डी. रीसेट करने के पश्चात् उनकी एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित पूरक अनुबंध की शर्त के अनुसार उन्हें एक महीनें का नोटिस दिया जाना चाहिए था, परन्तु उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, जिससे कि वे उनकी बढ़ी हुई संविदा मांग के अनुसार विद्युत का उपयोग नहीं कर सकें ।
7. अनावेदक द्वारा चूंकि उनके लगातार मई 15 से जनवरी 17 को 250 केवीए संविदा मांग के अनुसार बिल दिया जाता रहा एवं जिसका भुगतान वे नियमित रूप से करते रहे या इस अवधि में नोटिस ना दिए जाने की स्थिति में भी अनावेदक द्वारा 350 केवीए संविदा मांग का नियमित विद्युत बिल दिया जाता तो इस बात की पुष्टि हो जाती कि उनको 350 केवीए संविदा मांग अनुरूप विद्युत उपयोग करने की अनुमति दी जा चुकी है तथा वह 350 केवीए संविदा मांग के अनुसार विद्युत का उपयोग कर सकते थे, अतः उनको 350 केवीए संविदा भार के अनुसार दिया गया अतिरिक्त पूरक बिल को निरस्त करने का अनुरोध है ।
8. आवेदक द्वारा बताया गया कि जैसे ही उन्हें 350 केवीए संविदा भार के विरूद्ध पूरक बिल दिया गया उन्होंने तुरन्त संविदा भार घटाकर 190 केवीए करने का आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को दिया तथा अनावेदक उनके आवेदक पत्र को स्वीकार करते हुए संविदा भार कम करने की अनुमति देते हुए पूरक अनुबंध दिनांक 29.04.2017 को संपादित किया गया, जो कि 01.04.2017 को प्रभावशील हो गई (O.E.-7) ।

आवेदक द्वारा उपरोक्त कथन के विरूद्ध अपने निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत किए ।

1. आवेदक एवं अनावेदक के मध्य 250 केवीए से 350 केवीए संविदा मांग की स्वीकृति दिनांक 08.04.15 को दी जाकर पूरक अनुबंध 27.04.05 को संपादित (O.E.-3) किया गया था । आवेदक के पत्र दिनांक 13.05.15 (O.E.-1) के अनुसार उनके द्वारा

आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर की एम.डी. दिनांक 13.05.15 को रीसेट की गई (O.E.-2) जिस पर की अनावेदक के प्रतिनिधि श्री सिद्धनाथ के हस्ताक्षर हैं ।

2. आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 01.10.14 को आवेदक के परिसर में नया विद्युत कनेक्शन देते समय भी मीटर विवरण प्रपत्र पर अनावेदक के प्रतिनिधि श्री सिद्धनाथ द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए थे (O.E.-4) जो कि मीटर की एम.डी. दिनांक 13.05.15 को री–सेट करते समय किए सिद्धनाथ के हस्ताक्षर से मेल खाते हैं, इसलिए अनावेदक का कहना कि सिद्धनाथ उनके कर्मचारी नहीं है असत्य है ।

3. दिनांक 13.05.15 को आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर की एम.डी. रीसेट करने की तिथि के पश्चात् भूलवश 350 केवीए संविदा मांग के अनुसार मई 15 से जनवरी 17 तक बिल जारी नहीं किया जा सका, जिसकी अंतर राशि का पूरक बिल रू0 19,02,991/– का दिया गया जो कि उचित एवं नियमानुसार है, जिसका भुगतान आवेदक को किया जाना है ।

उभयपक्ष के प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

(1) आवेदक के अनुरोध पर उसकी संविदा मांग 250 केवीए से 350 केवीए करने की सहमति 16.04.15 को दी गई ।

(2) आवेदक के पत्र दिनांक 13.05.15 (O.E.-4) के अनुसार उनके मीटर की एम.डी. 13.05.15 को ही अनावेदक द्वारा रीसेट की गई (O.E.-2) ।

(3) प्रथम दृष्टयाः देखने पर आवेदक के परिसर में प्रथम बार विद्युत कनेक्शन स्थापित करते समय एवं एम.डी. रीसेट करते समय दस्तावेजों पर सिद्धनाथ के हस्ताक्षर पाए गए जो कि मेल खाते हैं ।

(4) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (O.E.-5) जो कि अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री उच्च दाब बिलिंग प्रकोष्ठ द्वारा पूरक बिल रू0 19,02,991/– जमा करने हेतु जारी किया गया था, में अधिकारी द्वारा यह माना गया है कि संविदा मांग बढ़ाने के लिए मीटर की एम.डी. रीसेट करने के संबंध में दस्तावेज प्राप्त न होने और न ही आवेदक द्वारा लोड बढ़ाने की सूचना देने के कारण माह जनवरी 2017 तक उन्हें 250 केवीए संविदा मांग के अनुसार ही बिल किया जाता रहा है, से इस बात की पुष्टि होती है कि संबंधित अधिकारी जिनके द्वारा एम.डी. रीसेट की गई की जानकारी ना तो उनके संबंधित बिलिंग अधिकारी को दी गई और ना ही आवेदक को दी गई । यदि संबंधित

अधिकारी द्वारा एम.डी. रीसेट की जानकारी दी जाती तो बिलिंग अधिकारी द्वारा अनुबंध की शर्त के अनुसार आवेदक को 30 दिन का नोटिस दिया जाकर अवधि के समाप्ति के बाद बिलिंग प्रारंभ की जा सकती थी ।

(5) अधीक्षण यंत्री के पत्र दिनांक 10 मई 2017 (O.E.-6) के अनुसार भी उनके द्वारा सूचित किया गया कि 250 केवीए से 350 केवीए संविदा मांग बढ़ाई जाने के विरूद्ध मई 15 से जनवरी 17 तक उनके बिलों का पुनरीक्षण किया गया है जिनका भुगतान आवेदक द्वारा किया जाना है ।

(6) उपरोक्त दोनों उभयपक्षों के कथन सुनने के पश्चात् विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.6 का अवलोकन किया गया, जिसमें नियमानुसार प्रावधान है :–

7.6 यदि बढ़े हुए भार का विद्युत प्रदाय किया जाना साध्य पाया जाता है तो उपभोक्ता :

(अ) जहां स्थापना में परिवर्तन किया जाना सन्निहित हो, वहां वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र (completion certificate) तथा परीक्षण प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करेगा।

(ब) यदि आवश्यक हो तो वह उच्चदाब/अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन–पत्र (letter of approval) प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(स) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप, प्रणाली में आवश्यक परिवर्धन तथा परिवर्तन (addition and alteration) की लागत, यदि लागू हो, तथा अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करेगा ।

(द) एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) निष्पादित करेगा।

(7) उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संविदा मांग बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् वे अपनी स्थापना में किए गए परिवर्तन का सर्टिफिकेट/परीक्षण प्रपत्र विद्युत ठेकेदार से प्राप्त करके अनुज्ञप्तिधारियों को देगा तथा जिसका निरीक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा । परन्तु, इस संबंध में आवेदक द्वारा अपनी स्थापना में परिवर्तन करने की पुष्टि हेतु इलेक्ट्रिक इंस्टपेक्टर से प्रमाण–पत्र/परीक्षण परिणाम लेकर अनावेदक के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अनावेदक द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए।

(8) आवेदक एवं अनावेदक के मध्य संपादित पूरक अनुबंध के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अनुबंध में निम्नानुसार प्रावधान था, जिसके अनुसार अनुबंध प्रभावशील होना बताया गया है ।

w.e.f. & date which shall be intimated by the West Discom E.E. of the area by giving at least 30 days advance notice in writing or from a date afterissue of said notice to be intimated by the consumer in writing whichever is earlier.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एम.डी. रीसेट करने के पश्चात् अनावेदक को आवेदक को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था, उस नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही यह अनुबंध प्रभावशील होता, अथवा इस नोटिस की अवधि के दौरान यदि आवेदक द्वारा विद्युत लेने की सूचना आवेदक द्वारा दी जाती तो उस तारीख से अनुबंध प्रभावशील हो जाता, परन्तु कोई भी ऐसा नोटिस आवेदक को जारी नहीं किया गया । इसके विपरीत उनके अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया है कि (O.E.-5) उनको भी एम.डी. रीसेट होने की जानकारी नहीं थी जिसके कारण 350 केवीए संविदा मांग के अनुरूप की बिलिंग प्रारंभ नहीं कर सके ।

(9) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (O.E.-8) के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक की संविदा भार मांग मई 2015 से जनवरी 2017 तक केवल एक माह जून 15 छोड़कर 250 केवीए से अधिक रिकार्ड नहीं की गई है, जिसके लिए उन्हें पैनल बिलिंग की गई । इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कभी भी संविदा मांग 350 के समतुल्य अथवा 250 केवीए से अधिक संविदा मांग के अनुसार विद्युत भार का उपयोग नहीं किया।

(10) आवेदक को पूरक बिल मिलने के तुरन्त बाद ही उनके द्वारा अपनी संविदा मांग जो कि अनावेदक के कथनानुसार 350 केवीए कर दी गई थी, को कम कर 190 केवीए किए जाने का आवेदन पत्र दिया जिसकी स्वीकृति अनावेदक द्वारा दी गई तथा इसके विरूद्ध किए गए पूरक अनुबंध 01.04.2017 से प्रभावशील हो गए । उक्त से स्पष्ट है कि यदि आवेदक द्वारा 350 केवीए संविदा भार के अनुरूप अपने परिसर में अतिरिक्त संयंत्र स्थापित किया होता तब उनके द्वारा संविदा मांग 190 करने के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके द्वारा 350 केवीए की संविदा मांग के लिए अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करने पर राशि खर्च की जा चुकी थी ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है :–

(i) आवेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.6 (B) में दिए गए प्रावधान के अनुसार आवेदक द्वारा अपने परिसर की स्थापना में परिवर्तन करने के संबंध में इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट/परीक्षण रिपोर्ट नहीं दिया जबकि भार बढ़ाए जाने के लिए यह

आवश्यक शर्त थी एवं अनावेदक को संविदा मांग बढ़ाए जाने की अनुमति देने से पहले इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट/परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् परिसर का निरीक्षण किया जाना था । उसके उपरांत ही एम.डी. रीसेट की जानी थी ।

(ii) आवेदक द्वारा मई 2015 से जनवरी 2017 की अवधि में अपनी संविदा मांग 250 केवीए से अधिक का उपयोग नहीं किया ।

(iii) अनावेदक एवं आवेदक के मध्य संपादित हुए अनुबंध जिसमें की अनुबंध प्रभावशील होने के संबंध में शर्त लिखी गई है, जिसके अनुसार अनावेदक को 30 दिन का नोटिस आवेदक को देना था तथा नोटिस समाप्त होने की अवधि की तारीख से अनुबंध प्रभावशील होता अथवा नोटिस की अवधि में यदि आवेदक द्वारा नई संविदा भार के अनुसार विद्युत का उपयोग किए जाने की सूचना देता है तब उस तिथि से अनुबंध प्रभावशील होना था, परन्तु अनावेदक द्वारा 13.05.2015 को एम.डी. रीसेट करने की सूचना ना तो आवेदक को और ना ही संबंधित अधिकारी जो कि उच्च दाब कनेक्शन के बिलिंग के लिए जिम्मेंदार हैं, को दी जिसके कारण वह बढ़ी हुई एमडी के न्यूनतम चार्जेज के बिलिंग प्रारंभ नहीं कर सकें और ना ही आवेदक बढ़ी हुई संविदा भार के अनुरूप विद्युत का उपयोग कर सके । अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को मीटर की एमडी रीसेट करके अनुबंध की शर्त के अनुसार 30 दिन का नोटिस नहीं दिया गया और ना ही संबंधित अधिकारी को सूचित किया जो कि अनुज्ञप्तिधारी के स्तर से लापरवाही दर्शाता है ।

(iv) चूंकि आवेदक को नोटिस नहीं प्राप्त होने पर वे 350 केवीए संविदा भार के अनुसार विद्युत का उपयोग नहीं कर सकें, इसलिए उनके विरूद्ध मई 2015 से जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए की गई अतिरिक्त बिलिंग न्यायोचित नहीं है एवं नैसर्गिक न्याय के भी विपरीत है, जिसे निरस्त किया जाना उचित होगा ।

अतः आदेशित किया जाता है कि :–

(i) आवेदक के विरूद्ध मई 2015 से जनवरी 2017 तक की अवधि में की गई अतिरिक्त पूरक बिलिंग को निरस्त किया जाए एवं इसके विरूद्ध आवेदक द्वारा जमा की गई राशि उन्हें अगले मासिक नियमित विद्युत देयकों में समायोजित की जाए ।

(ii) फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है ।

(iii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

(iv) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो ।

(v) आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल